

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 20.02.26

क्रमांक रीडर/2026/791
प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 नूरदीन 2 शेर खां 3 खानु
पिसरान बुरान 4 मुस्मात
सहीदो बेवा बुरान 5 सुमार
पुत्र ईसाक 6 मुस्मात आलमो
बेवा ईसाक जाति मुसलमान
निवासी अली का तला
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 गुलाम पुत्र लतीफ जाति मुसलमान 2 दीपाराम 3
सुरता पिसरान फगलु 4 मासिंगा पुत्र थानाराम 5
मंगलाराम पुत्र मोडा 6 हरलाल 7 पीराराम पिसरान
शिवजी जाति खारी 8 भीखाराम पुत्र नरसींगाराम
जाति जाट 9 उम्मेदा खां पुत्र गफुर खां 10 मलुका
लतीफ खां 11 लुकमान पुत्र गफुर जाति मुसलमान
12 ओंकार पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी अली
का तला तहसील व जिला बाड़मेर 13 तहसीलदार
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 180/2025

दिनांक- 10.02.2026

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बरजांगपुरा पटवार क्षेत्र राणीगांव तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 93 रकबा 32.8847 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक
तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 20.02.26

क्रमांक :- रीडर/2026/792-95

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी राणीगांव तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण नूरदीन पुत्र बुरान वगैराह जाति मुसलमान निवासी अली का तला तहसील व जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण गुलाम पुत्र लतीफ जाति मुसलमान वगैराह जाति मुसलमान निवासी अली का तला
तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर